भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1472

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में शौचालयों में जल निकास मार्ग और स्वच्छता की स्थिति

1472. **श्रीमती वंदना चव्हाणः**

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में घरों में बने शौचालयों के लिए जल निकास मार्ग नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ट्विन लीच पिट शौचालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहत दूर ले जाने के लिए कोई कचरा पैदा नहीं होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(एसबीएम(जी)) की शुरूआत 2 अक्तूबर, 2014 को हुई थी जिसका लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर(एपीएल) के चिन्हित परिवारों (सभी अ.जा./अ.ज.जा., लघु और सीमांत किसानों, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूरों, दिव्यांगजन और महिला प्रमुख परिवारों) को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12,000 रु. की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) एसबीएम (जी) का एक अभिन्न घटक है। इस घटक के अंतर्गत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस प्लांट, कम लागत निकासी, सोकेज चैनल/पिट्स, अपशिष्ट जल का पुन: प्रयोग, घरेलू कचरे का एकत्रण, पृथक्कीकरण तथा निपटान की प्रणाली और मासिक धर्म संबंधी सफाई प्रबंधन आदि जैसे संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 150/300/500 या 500

से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 7/12/15/20 लाख रुपए की सीमा के साथ निधियाँ उपलब्ध हैं। एसबीएम (जी) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- व्यवहारगत परिवर्तन पर बल: समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में उल्लिखित है, हालांकि, राज्य उनके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है न कि केवल वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण पर। यह पूरे गांव को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को लचीलापन दिया गया है। भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विविधता और नवाचारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है।
- इसमें सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं की कमी, एक प्रमुख चुनौती है। अत: सभी हिस्सेदारों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं।
- इस कार्यक्रम को एनजीओ, कॉरपोरेट क्षेत्र, युवाओं आदि को शामिल करते हुए समाज के सभी वर्गों के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।
- समय को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर तकनीकी में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रो.आर.ए. माशेल्कर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्थायी समिति गठित की गई है जो सुरक्षा एवं व्यवहार्यता की दृष्टि से सभी नवीन तकनीकों का परीक्षण करती है।
- समग्र विकास एजेंडा में से स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने ओडीएफ गांवों में सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। तदनुसार कई अन्य विकास स्कीमों को स्वच्छता परिणामों के साथ जोड़ा जा रहा है।
- मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन को भी सुदृढ़ किया गया है। आईएमआईएस पर घरेलू स्तर के आंकड़े हैं, इसमें शौचालयों के जीयो-टैग्ड चित्रों को कैप्चर करने का प्रावधान भी है। एक स्वच्छता ऐप तैयार किया गया है जो घरेलू स्तर तक की स्वच्छता स्थिति पर ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराएगा। ''स्वच्छ ऐप'' पर नागरिकों द्वारा स्वच्छता की रैंकिंग भी की जा सकती है।
- जिलों की सहायता हेतु जिला स्वच्छता प्रेरकों को नियोजित किया जा रहा है।
- ज्ञान को साझा करने के लिए स्वच्छ संग्रह का वेब पोर्टल तैयार किया गया है।